

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी ४, १९७२/वीस १४, १८९३

No. 6]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1972 PAK SA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 4th January 1972

S.O. 6(E).—Whereas the industrial undertaking known as the Carter Pooler & Co. Private Limited, Calcutta, is engaged in the scheduled industries, namely, the Fork Lift Trucks and Steel Structural industries;

And whereas it has come to the notice of the Central Government that the volume of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking had been gradually going down resulting in a situation in which production might stop altogether;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient to take urgent measures to remedy the situation arising out of the gradual fall in production in the said industrial undertaking and to ensure that production in the said scheduled industry does not suffer to the detriment of the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (85 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:

Chairman

1 Shri A. Bose, Special Secretary, Government of West Bengal, Calcutta.

Members

2. Shri R. J. Shahaney, Director, M/s. Jessop & Co. Ltd., Calcutta.
3. Shri K. Jayaram, Finance Manager, Braithwaite & Co. (India) Ltd., Calcutta.

Member-Secretary

4. Shri P. K. Banerji, General Manager M/s Garden Reach Workshops Ltd., Calcutta.

The Investigating Team shall submit its report within two months of the date of this Order.

[No. 1(92)/71-AEI(I).]

G. M. GHOSH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय**(औद्योगिक विकास विभाग)****आदेश**

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

का० आ० 6(अ).—यतः कार्टर पुल एण्ड कं० प्राइवट लिमिटेड, कलकत्ता नाम से शात औद्योगिक उपक्रम, अनुसूचित उद्योगों अर्थात् फर्क लिफ्ट ट्रक्स और स्टल स्ट्रक्चरल्स उद्योगों में लगा हुआ है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही है जिस के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उत्पादन भित्कुल बन्द हो सकता है,

और यतः केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट से उत्पन्न स्थिति को ठीक करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उक्त अनुसूचित उद्योग के उत्पादन में ऐसा कमी न हो जिससे लोक हित को हानि पहुँचे, अत्यावश्यक उपाय करने समर्थन है ।

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इस मामले के परिस्थितियों का पूरा-पूरा अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है :

1. श्री ए० बोस, अध्यक्ष
विशेष सचिव,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।
2. श्री आर० जे० शाहानी, सदस्य
निदेशक,
मैसर्स जेसप एण्ड कं० लिमिटेड,
कलकत्ता ।

3. श्री के० जयराम, सदस्य
वित्त प्रबंधक,
ब्रैथवेट एण्ड कं० (इंडिया) लिमिटेड,
कलकत्ता ।
4. श्री पी के० बनर्जी, सदस्य-महोदय
महाप्रबन्धक,
मसर्स गार्डन रीच वर्कशाप
लिमिटेड, कलकत्ता ।

अन्वेषण-दल अपनी रिपोर्ट इस आदेश की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत करेगा।

[सं० १(९२)/७१-ए० ई० आई० (१)]

एम० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

